

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूजाईडी संख्या : UPFS/2025/158492/DER/DEORIA/1455/CFO
दिनांक : 21-05-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स G M ACADEMY पता 94, 98, 99, PACHAHUA, RAMJANKI MARG, BARHAJ, DEORIA तहसील - BARHAJ प्लॉट एरिया 8691.63 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 1527.30 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	वैसमेंट की संख्या	ऊँचाई
A	2	0	6.90 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स G M ACADEMY द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 23-05-2025 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री SHRI PRAKASH MISHRA के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 24-05-2025 से 23-05-2028 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स G M ACADEMY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स G M ACADEMY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : AS PER RECOMMENDATION REPORT OF FSSO DEORIA केवल भूतल पर स्कूल संचालन किये जाने हेतु निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत है-

- 1-अर्ह अभिकर्ता /अग्निशमन अभियन्ता से 01वर्ष में न्यूनतम 02-बार फायर आडिट तथा विद्युत् ऑडिट कराकर प्रमाण-पत्र इस विभाग को प्रेषित करें।
- 2-भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 3-भवन में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
- 4-अतिरिक्त भवन निर्माण/अधिभोग हेतु विभागीय स्वीकृति ली जाये।
- 5-नियत प्राधिकारी द्वारा भवन के स्वीकृत कराये गये मानचित्र के अनुसार समस्त प्रावधान रखना होगा।
- 6-प्रवेश/निकास मार्ग सदैव अवरोधमुक्त रखा जायेगा तथा लॉक नहीं किया जायेगा।
- 7-UP F & E.S RULE-2024 के अनुसार निर्गत है।

“यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।”

निर्गत किये जाने का दिनांक : 24-05-2025
स्थान : DEORIA



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Arun Kumar

63F826DE50AA10615D7E0C8F7CC174FE0F45689D

24-05-2025


Principal
G. M. Academy
Barhaj, Deoria


MANAGER
G.M. ACADEMY
PACHAUHA BARHAJ